फर्द अहकाम

(नियम 26)

नाम अदालत **जिला कलक्टर, अलवर** मुकाम **अलवर**

उनवान **सरकार बनाम तौफिक**

किस्म मुकदमा **प्रा0पत्र वास्ते सुपुर्दगी आर.बी.एक्ट** नम्बर 15/101/2022 दा0दि0 11.04.2022

तारीख हुक्म	हुक्म की कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
03.06.2022	आज यह पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थी की बहस सुनी गयी। वकील प्रार्थी तोफिक पुत्र रूकमूदीन जाति मेव निवासी ग्राम विलासपुर तहसील तिजारा जिला अलवर द्वारा निवेदन किया कि प्रार्थी का वाहन संख्या टाटा एसीई एचटी रजि0 सं0 आर.जे. 32 जी.बी. 0633 धारा 5, 8 आर.बी.एक्ट के तहत थाना तिजारा द्वारा जप्त किया गया है। जिसे सुपुर्दगी पर दिये जाने के आदेश फरमावें। प्रार्थी के प्रार्थना पत्र पर थानाधिकारी पुलिस थाना तिजारा से रिपोर्ट तलब की गई। थानाधिकारी तिजारा द्वारा निवेदन किया कि मुकदमा हाजा में जप्त शुदा वाहन टाटा एसीई एचटी रजि0 सं0 आर.जे. 32 जी.बी. 0633 को सुपुर्दगी पर नहीं दिया जावें। पत्रावली का अवलोकन किया व वकील प्रार्थी की बहस पर मनन किया। जप्तशुदा वाहन टाटा एसीई एचटी रजि0 सं0 आर.जे. 32 जी.बी. 0633 को सुपुर्दगी हेतु प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रा0पत्र खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो। जिला कलक्टर अलवर	